

# कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

paddrda2012.balrampur@gmail.com

## आदेश

बलरामपुर, दिनांक / 11 / 12 / 2017

क्रमांक /764/ शिक्षा/जि.पं. /2017 : : छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 यथा संशोधित तथा समय-समय पर प्रकाशित नियमों के अधीन एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा व्याख्याता (पं.) की सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा परिणाम वर्ष 2017 के आधार पर जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के सामान्य प्रशासन समिति के बैठक दिनांक 07-12-2017 के अनुमोदन पश्चात् निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थाई रूप से स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित विद्यालयों में व्याख्याता (पंचायत) ,विषय - गणित के पद पर वेतनमान 5300-150-8300 पर ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा की जाती है :-

क्र.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	लिंग	पदस्थापना विद्यालय	विकासखण्ड	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	110720270	RAM KUMAR SINGH	GEN	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL JARHADIH	BALRAMPUR	
2	110720146	BHUPENDRA DUBEY	GEN	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL JIGDI	RAJPUR	
3	250920301	KHUSHBOO DEWANGAN	OBC	F	GOVT. HIGH SCHOOL AMRAWATIPUR	WADRAFNAGAR	
4	110720038	PRIYANKA PATEL	OBC	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL DHANDHAPUR	RAJPUR	
5	110720078	MITHILESH KUMAR UPADHYAY	GEN	M	GOVT. GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL SANAWAL	RAMCHANDRAPUR	
6	250920196	ROSHAN LAL	OBC	M	GOVT. HIGH SCHOOL CHANKI	RAMCHNDRAPUR	
7	110720096	DHIRENDRA KUMAR	GEN	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL GANJAR	RAMCHNDRAPUR	
8	131220546	BHUPENDRA KUMAR BANJARA	SC	M	GOVT. HIGH SCHOOL DOLANGI	RAMCHNDRAPUR	
9	110720025	SANGEETA TOPPO	ST	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL RAMCHANDRAPUR	RAMCHNDRAPUR	
10	110720134	ABHISHEK TIGGA	ST	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL KORONDHA	KUSMI	
11	110720247	PARMESHWARI BHAGAT	ST	F	GOVT. HIGH SCHOOL LILAUTI	BALRAMPUR	
12	250820186	VIKESH KUMAR TIRKEY	ST	M	GOVT. HIGH SCHOOL BADKAGAO	WADRAFNAGAR	
13	110720292	PRADEEP KUMAR MINJ	ST	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAWARMAL	RAMCHANDRAPUR	
14	131120443	TULASI RAM	ST	M	GOVT. HIGH SCHOOL FULIDUMAR	WADRAFNAGAR	
15	110720379	MANESHARI SINGH	ST	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL ENJANI	WADRAFNAGAR	
16	110720167	RAVI KUJUR	ST	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BASKEPI	KUSMI	
17	110720230	PREETI SINGH PAINKRA	ST	F	GOVT. HIGH SCHOOL SALWAHI	RAMCHNDRAPUR	
18	251020114	FRANCE RAM	ST	M	GOVT. HIGH SCHOOL DHARANGAR	SHANKARGARH	
19	131120402	SHIV KUMAR BHAGAT	ST	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BARDAR	BALRAMPUR	
20	110720358	SAI PRIYANKA MONESHWAR	ST	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL JIGDI	RAJPUR	

*(Signature)*

क्र.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	लिंग	पदस्थापना विद्यालय	विकासखण्ड	रिमांक
1	2	3	4	5	7	8	9
21	110720172	MALTI TIRKEY	ST	F	GOVT. HIGH SCHOOL TALKESHWERPUR	RAMCHNDRAPUR	
22	160520022	KHILESHWAR	OBC	M	GOVT. HIGH SCHOOL DUMARPAN	RAMCHNDRAPUR	
23	110720015	ANITA NAYAK	OBC	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BHARATPUR	SHANKARGARH	
24	110720272	DHARMENDRA KUMAR	OBC	M	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL GOPALPUR	RAJPUR	भूईसे अपि य पद के विरुद्ध
25	131320180	RAMAWATAR KASHYAP	OBC	M	GOVT. HIGH SCHOOL OKARA	RAJPUR	
26	110720254	BINDIYA KUSHWAHA	OBC	F	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL SEWARI	RAJPUR	

### नियम एवं शर्तें:-

1. व्याख्याता पंचायत के लिये चयनित उम्मीदवार को स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है, जिसे विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के कार्य का आकलन किया जावेगा। दो वर्ष की परीक्षा कालावधि पश्चात् कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर परीक्षा अवधि समाप्त हो सकेगी। यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो परीक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि के अंत में कार्य का आकलन किया जावेगा। यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
2. दो वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात् व्याख्याता पंचायत को कार्य, आचरण तथा कर्तव्य पालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा।
3. व्याख्याता पंचायत को परीक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता प्रदत्त किया जावेगा।
4. पदोन्नति के लिये छ0ग0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये लागू होंगे।
5. व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। दीर्घशास्ति के लिये यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति लघुशास्ति के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी रहेंगे।
6. कर्मचारी की सेवायें, या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक माह के वेतन का भुगतान करने पर, किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
7. व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा शर्तें यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होंगी।
8. इन नियमों के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जावेगी।
9. ये नियुक्तियां प्रावधिक हैं, तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय पर निर्भर रहेंगी।
10. भूतपूर्वक सैनिक संवर्ग में नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं विभाग की सेवा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र में स्नातक योग्यता संबंधी कोई विसंगति पाये जाने पर संबंधित की आदेश निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। पुलिस विभाग से किये गये चरित्र सत्यापन में यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकूल अपराधिक टिप्पणी पायी जाती है, तो संबंधित की नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

*Atopra*

12. चयनित उम्मीदवार को सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज में दिनांक 23-12-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण हेतु उपस्थिति मय निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र मूल में लेकर उपस्थित होंगे। कार्यभार ग्रहण के समय स्व-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तदुपरान्त कार्यालय द्वारा अनुमति पश्चात ही अपने नाम के सम्मुख विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
13. चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधानित रूप से कार्यभार ग्रहण के समय किये जाने के दौरान अथवा बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण-पत्रों के तथ्य प्रकाश में लाये जाने पर, अवैध/फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्त व्याख्याता पंचायत की, बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति निरस्त की जावेगी। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं भविष्य में फर्जी प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे
14. उपरोक्त समयावधि में कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
15. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
16. उपरोक्त संबंधित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण तिथि के एक माह के भीतर मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अविचार्य होगा।
17. पदस्थापना स्थल परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश/अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकेगी।
18. व्याख्याता पंचायत भर्ती हेतु जारी विज्ञापन अथवा नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की जानकारी प्रमाणित पाये जाने पर किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
19. नियुक्ति स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा।
20. चयनित उम्मीदवार यदि बीएड उपाधिधारी नहीं है, तो नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी। यदि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के भीतर उम्मीदवार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त नहीं की जाती है, तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
21. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012 के तहत समस्त सेवा शर्तें समान रूप से लागू होंगी।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी


जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज  
बलरामपुर, दिनांक 11/12/2017

पृ.क्र./ /शिक्षा/जि.पं. /2017  
प्रतिलिपि:-

7642

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. महानिदेशक, राज्य सैनिक पुनर्वास कल्याण केन्द्र रायपुर। सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त सह संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, रायपुर।
5. आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
10. पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
12. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को समचनार्थ।
15. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत/विकासखण्ड ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. प्राचार्य, उ०मा०वि० .....जनपद पंचायत ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी .....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज